न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 011 / 2016

1. रेणु पत्नी मुखराम जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ज्योत्सना पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ।

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र आदुराम जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. धर्मपाल पुत्र आदुराम जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. जगदीश चन्द्र पुत्र आदुराम जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. मेनपाल पुत्र आदुराम जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. किशोरीलाल पुत्र आदुराम जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. परमेश्वरी पत्नी आदुराम जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. कमलादेवी पुत्री आदुराम जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. गुरदीप सिह पुत्र हरदित सिंह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. चिमनसिह पुत्र हरदित सिंह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. मलकीत सिंह पुत्र हरदित सिंह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. मिन्दो पत्नी अवतार सिंह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

12. बलविन्द सिंह पुत्र चिमनसिंह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

13. वजीर अली पुत्र शेख मोहम्मद जाति मुस्लमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

14. सुल्तान अली पुत्र शेख मोहम्मद जाति मुस्लमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

15. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी। — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

उपस्थित अभिभाषकगणः—

1. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता — —प्रार्थीगण
2. श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता — —अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :—27.03.2024

प्रार्थीगण रेणु आदि ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि प्रार्थीयान के नाम से चक नम्बर 11 सी.डी. आर. के खाता संख्या 128 में कुल 3.289 हैक्टर कृषि भूमि व अप्रार्थीगण के नाम से चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के खाता संख्या 160 में कुल 7.147 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम से व इसी चक के खाता संख्या 44 में कुल 2.530 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 8 ता 14 के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

प्रार्थीयान की कृषि भूमि चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 216/261(45) किला नम्बर 5, 6 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीयान को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीयागण चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 216/261 के किला नम्बर 1 ता 4 में उतरी दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व में बने रास्ता से आ जा रहे है। प्रार्थीयान पत्थर नम्बर 216/261(45) किला नम्बर 1 ता 4 में उतरी दिशा की तरफ एक बिश्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन [illegible] अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीयान को उक्त चाहे.जाने वाला [illegible] के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही है। पत्थर नम्बर 216/261(45) किला नम्बर 1, 2, 3 अप्रार्थी संख्या 1 ता

Scanned with CamScanner

8 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है व इसी पत्थर नम्बर का किला नम्बर 4 संयुक्त खाता मे अप्रार्थी संख्या 8 ता 14 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है प्रार्थीयान द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता जो स्वीकृत करवाना चाहते है रास्ता के बदले में डी.एल.सी. रेट से राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीयागण उक्त रास्ता से आवागमन कर अपनी भूमि मे प्रवेश कर अपनी भूमि को सिंचित करती है तथा उक्त रास्ता से ही अपनी भूमि में कृषि यन्त्र व साधन आदि लेकर आते जाते है। रास्ता स्वीकृत नही होने से प्रार्थीयान को काफी परेशान होती है।

प्रार्थीयागण ने अप्रार्थीगण को उपरोक्त चालू रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाकर गैर मुमकिन अंकन करवाने निवेदन किया तो आज से तीन रोज पूर्व अप्रार्थीगण हम प्रार्थीयागण का निवेदन मानने से कतई इन्कार हो गये। बस यही विनाय प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 216/261(45) के किला नम्बर 1 ता 4 में उत्तरी दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रत्येक किला में एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 व 9 ता 14 बाद विधिवत तामील हाजिर अदालत नही आने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 व 9 ता 14 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 8 की ओर से श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 8 की ओर से जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नही किया गया। अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दी व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण द्वारा चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 216/261(45) के किला नम्बर 1 ता 4 के उत्तरी दिशा की तरफ रास्ता

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की मांग की गई है उनमें पत्थर नम्बर 216/261(45) के किला नम्बर 1/3/0.025 हैक्टर का अप्रार्थी गुरदीप सिंह द्वारा बेचान कर दिया गया परन्तु रजिस्ट्रर्ड बेचान पेश न करने के कारण किला नम्बर 1/3/0.025 हैक्टर का अप्रार्थी गुरदीप सिंह के नाम ही दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा पत्थर नम्बर 216/261(45) के किला नम्बर 1 ता 4 में में गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं खाला के साथ में रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। खाला के उतरी दिशा में पत्थर नम्बर 216/260(35) किला नम्बर 5 व पत्थर नम्बर 217/260(36) के किला नम्बर 1 व 2 में गैर मुमकिन रास्ता से 4 बीघा दुरी पर प्रार्थीगण के नाम से ही कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा न तो उक्त रास्ते की मांग की गई एवं न ही उक्त भमि से संबंधित काश्तकारान को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। इसलिए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की रिपोर्ट का अवलोकन के बाद प्रार्थीगण द्वारा चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 216/261(45) के किला नम्बर 1 ता 4 के उतरी दिशा की तरफ रास्ता की मांग की गई है उनमें पत्थर नम्बर 216/261(45) के किला नम्बर 1/3/0.025 हैक्टर का अप्रार्थी गुरदीप सिंह द्वारा बेचान कर दिया गया परन्तु रजिस्ट्रर्ड बेचान पेश न करने के कारण किला नम्बर 1/3/0.025 हैक्टर का अप्रार्थी गुरदीप सिंह के नाम ही दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा पत्थर नम्बर 216/261(45) के किला नम्बर 1 ता 4 में में गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं खाला के साथ में रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। खाला के उतरी दिशा में पत्थर नम्बर 216/260(35) किला नम्बर 5 व पत्थर नम्बर 217/260(36) के किला नम्बर 1 व 2 में गैर मुमकिन रास्ता से 4 बीघा दुरी पर प्रार्थीगण के नाम से ही कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा न तो उक्त रास्ते की मांग की गई एवं न ही उक्त भमि से संबंधित काश्तकारान को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। इसलिए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक......27.03.2024......को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:53 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner